कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर।

दिनाँकित–28 मई, 2021

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में अधिवक्तागण एवं वादकारीगण का प्रवेश कोविड–19 की बीमारी के कारण न्यायालय कक्ष में निषेध है तथा बुलन्दशहर स्थित दोनों सम्मानित बार संघ द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से यह याचना की गयी है कि अग्रिम तिथियों में सामान्य तिथि नियत कर दी जाये। परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रधान न्यायाधीश,परिवार न्यायालय एवं तीनों अपर प्रधान न्यायाधीश,परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर में निम्न अनुसार सामान्य तिथियां नियत की जाती हैं–

दिनांक	आपराधिक	दीवानी
01.06.2021	12.07.2021	12.07.2021
02.06.2021	13.07.2021	13.07.2021
03.06.2021	14.07.2021	14.07.2021
04.06.2021	15.07.2021	15.07.2021
05.06.2021	16.07.2021	16.07.2021

तद्नुसार सम्बन्धित न्यायालय एवं दोनों बार संघ, बुलन्दशहर तथा सूचनाधिकारी, बुलन्दशहर एवं सिस्टम ऑफिसर, बुलन्दशहर सूचित हों।

28/05/21

दिनाँक–28.05.2021

(हरकेश कुमार)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,बुलन्दशहर।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
<u>बुलन्दशहर।</u>
प्रशासनिक आदेश संख्या–
दिनाँकित–28 मई, 2021

<u>आदेश</u>

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक–1946/LXXXVII-CPC/e-Court Allahabad dated-26-04-2021 में दिये गये नवीनतम दिशा–निर्देशों के अनुसार वर्तमान में कोविड–19 के बढ़ते हुए मामलों को दृष्टिगत रखते हुए जिला न्यायालयों के संचालन हेतु नवीनतम दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके सम्बन्ध में परिवार न्यायालयों के संचालन हेतु सम्मानित दोनों बार संघ, बुलन्दशहर की सहमति के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्रांक में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन में परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाला आवश्यक प्रकृति का कार्य निम्न प्रकार से परिवार न्यायालयों द्वारा सम्पादित किया जायेगा–

<u>दिनांक</u>	**<u>पीठासीन अधिकारी</u>**
02.06.2021, 03.06.2021	श्री हरकेश कुमार, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर।
04.06.2021, 05.06.2021	श्रीमती सोनिका चौधरी, अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, न्याय कक्ष संख्या–2,बुलन्दशहर।
31.05.2021, 01.06.2021	सुश्री श्वेता वर्मा, अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, न्याय कक्ष संख्या–3,बुलन्दशहर।

उपरोक्त वर्णित न्यायालयों में नियुक्त पीठासीन अधिकारीगण के अवकाश पर होने की स्थिति में उक्त परिवार न्यायालय के प्रभारी अधिकारी उक्त कार्य को सम्पादित करेंगे।

तद्नुसार सम्बन्धित न्यायालय एवं दोनों बार संघ, बुलन्दशहर तथा सूचनाधिकारी, बुलन्दशहर एवं सिस्टम ऑफिसर, बुलन्दशहर सूचित हों।

28/05/21

दिनाँक–28.05.2021

(हरकेश कुमार)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,बुलन्दशहर।